

21.5.16

पत्रावली कोर्ट केम्प मालोला
पर फेरा मूल वाद 59/11 का निर्णय
हो जाने से प्रापना पत्र में कोर्ट
कार्यवाही शेष नहीं होने से
पत्रावली श्वरीज की जाती
है।

पत्रावली केसल शुमार होकर
नम्बर से काम होगा

(उम्मेद सिंह राजावत)

लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, भीलवाड़ा